

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), द्वितीय, राज्य कर, ऋषिकेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), द्वितीय, राज्य कर, ऋषिकेश के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री रमेश कुमार केशरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार, सुपरवाइजर तथा श्री मातवर सिंह राणा, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 24.02.2021 से 05.03.2021 तक श्री हिमांशु मणि, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

### भाग-I

**1 परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आनंद कुमार पाण्डेय (लेखापरीक्षक) श्री डी.के.श्रीवास्तव एवं श्री बी.बी.एम. त्रिपाठी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 15.11.2019 से 23.11.2019 तक श्री के.एल. भट्ट वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक तथा व्यय हेतु माह --- से --- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:** ट्रेडर्स एवं संविदाकार क्षेत्र रोड, तपोवन, घाट रोड।

### (ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत तीन वर्षों में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2017-18	728.16 + 490.61 GST
2018-19	1543.93 GST
2019-20	2021.09 GST

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत

है:

(₹ लाख में)

वर्ष	Plan		Non plan		अधिक्य (+)	बचत (-)
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
लागू नहीं						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
लागू नहीं					

(iii)इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई "A" श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, वित्त > आयुक्त कर, वाणिज्य कर> ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर> डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर> सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर> वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), द्वितीय, राज्य कर, ऋषिकेश को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), द्वितीय, राज्य कर, ऋषिकेश की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

**राजस्व:** E Payment के कारण DCR नहीं बनाया गया है। विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

**व्यय:** ----- (व्यय) को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## राजस्व का लेखा-परीक्षा

### भाग-II (अ)

प्रस्तर-1 कर के न्यूनारोपण के फलस्वरूप राजस्व क्षति ` 12.03 लाख ।

### भाग-II (ब)

प्रस्तर-1 संविदाकारों पर ` 6.94 लाख का कर आरोपण न किया जाना ।

प्रस्तर-2 संविदाकार को अनियमित वापसी ` 1.14 लाख ।

प्रस्तर-3 कर का अनारोपण ` 0.14 लाख ।

प्रस्तर-4 कर का न्यूनारोपण ` 0.50 लाख ।

प्रस्तर-5 देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 0.51 लाख।

प्रस्तर-6 सुख साधन कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 0.24 लाख ।

प्रस्तर-7 बिक्री कम प्रदर्शित किये जाने के कारण कर ` 0.07 लाख एवं अर्थदण्ड `0.03 लाख का अनारोपण ।

## व्यय की लेखा-परीक्षा

### भाग-II (अ)

शून्य

### भाग-II (ब)

शून्य

## (राजस्व की लेखापरीक्षा)

## भाग- 2(अ)

प्रस्तर-1 कर के न्यूनारोपण के फलस्वरूप राजस्व क्षति ` 12.03 लाख ।

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय, देहरादून के पत्रांक: 2163/धारा-57/आयु0क0उत्तरा0दे0दून/2008-09 दिनांक 19 सितम्बर द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-57 के तहत निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि जहाँ तक उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये Clarification का प्रश्न है, शासन द्वारा केवल "प्रोक्योर्ड ट्रेड रबर" के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त किया था न कि ट्रेड रबर के बारे में । अतः Tread Rubber जो कि टायर व ट्यूब की रिटेडिंग के प्रयोग होता है, पर कर की देयता 12.5% (वर्ष 2016-17 में दिनांक 04.10.2016 के पूर्व 13.5% तथा दिनांक 04.10.2016 के पश्चात् 14.5%) निर्धारित की गयी है ।

उपरोक्त व्यापारी द्वारा क0 नि0 वर्ष 2016-17 के विभिन्न त्रैमासों में ट्रेड रबर (Tread Rubber) आदि की कुल प्रान्तीय बिक्री ` 1,33,18,394 तथा केन्द्रीय बिक्री ` 28,190 पर 5% की दर से कर आरोपित किया गया है । विभिन्न त्रैमासों में उक्त कुल बिक्री पर निम्नानुसार अन्तरीय दर 8.5% (अर्थात् 13.5 - 5)/ 9.5% (अर्थात् 14.5 - 5) से और कर ` 12,02,910 आरोपणीय था जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित नहीं किया गया । साथ ही कर जमा करने की तिथि तक नियमानुसार ब्याज भी देय है ।

विवरण निम्नवत् है:-

क्रम सं0	व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	माल का नाम	त्रैमास	5 % की दर से बिक्रीत माल का मूल्य		कर की अन्तरीय दर	कर की अन्तरीय धनराशि ( ` )
					प्रान्तीय	केन्द्रीय		
1.	सर्वश्री सिंघला टायर्स, लक्ष्मण झूला रोड, ऋषिकेश (टिन नं0 05015374428)	2016-17	ट्रेड रबर	प्रथम	32,85,116	-	8.5% (13.5-5)	2,79,235
				द्वितीय	32,16,423	-	8.5% (13.5-5)	2,73,396
				तृतीय	36,11,255	-	9.5% (14.5-5)	3,43,069
				चतुर्थ	32,05,600	-	9.5% (14.5-5)	3,04,532
					-	28,190	9.5% (14.5-5)	2,678
<b>योग</b>					<b>1,33,18,394</b>	<b>28,190</b>		<b>12,02,910</b>

लेखापरीक्षा द्वारा इंगति किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि टायर रिट्रेडिंग मैटीरियल के रूप में प्रयुक्त ट्रेड रबड़ वास्तव में रबड़ ही है। अतः प्रयोग के आधार पर शासन के पत्रांक: 2619 दिनांक 28.08.2006 के अनुसार 5% की करदेयता प्रोक्वोर्ड ट्रेड रबड़ के समान ही है। साथ ही Commercial Tax Tribunal, Uttarakhand के निर्णय संख्या 90/2012 A.Y. 2005-06 u/s 25(6) के द्वारा ट्रेड रबड़ की क्रेता फर्म सर्वश्री टायर्स के विक्रय पर सम्बन्धित गुड्स को 4% की दर से करदेयता निर्धारित करते हुए अन्तरीय दर 8.5% क्रेता फर्म सर्वश्री टायर इण्डिया प्रा0 लि0 को रिफण्ड के आदेश दिये गये। अतः ट्रेड रबड़ पर 5% की करदेयता ही उचित है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय, देहरादून के पत्रांक: 2163/धारा-57/आयु0क0उत्तरा0दे0दून/2008-09 दिनांक 19 सितम्बर द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-57 के तहत निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि जहाँ तक उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये Clarification का प्रश्न है, शासन द्वारा केवल "प्रोक्वोर्ड ट्रेड रबर" के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त किया था न कि ट्रेड रबर के बारे में। अतः Tread Rubber जो कि टायर व ट्यूब की रिट्रेडिंग के प्रयोग होता है, पर कर की देयता 12.5% (वर्ष 2016-17 में दिनांक 04.10.2016 के पूर्व 13.5% तथा दिनांक 04.10.2016 के पश्चात् 14.5%) निर्धारित की गयी है। अतः उक्त धारा-57 के निर्णय कर निर्धारण प्राधिकारी पर बाध्यकारी है।

अतः कर के न्यूनारोपण के फलस्वरूप राजस्व क्षति ` 12.03 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग- 2(ब)

**प्रस्तर-1 संविदाकारों पर ` 6.94 लाख का कर आरोपण न किया जाना ।**

उत्तराखण्ड शासन के सर्कुलर संख्या 330/2016/14(120)/xxvii(8)/06 Dated 17.04.2012 अविभाजित सिविल संकर्म संविदाकारों के सम्बन्ध में स्पष्ट कहा गया है कि यदि संविदाकार प्राप्त की धनराशि का 5 प्रतिशत तक आयातित माल का प्रयोग संविदा में करते हैं तो वह 4 प्रतिशत समाधान शुल्क जमा करेंगे और यदि वह 5 प्रतिशत से अधिक मूल्य के आयातित माल का प्रयोग संविदा में करता है, तो उसे प्राप्त संविदा की धनराशि पर 6 प्रतिशत की दर से समाधान शुल्क देना होगा । ऐसी स्थिति में कर निर्धारण के प्रावधान लागू होंगे । एकमुश्त समाधान योजना दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2015 तक लागू किये जाने में दिये गये शासन के निर्देश के अनुसार बिन्दु सं0 5 में यह भी कहा गया है कि संविदाकार अनुबन्ध वार आयातित माल के प्रयोग से सम्बन्धित विवरण वर्ष के अन्त में प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक विवरणी के साथ प्रस्तुत करना होगा । यदि संविदाकार जाँच के दौरान आयातित माल का प्रयोग अनुबन्ध के निस्तारण में प्रयोज्य किया जाना प्रमाणित नहीं कर पाता है, तो ऐसे आयातित धनराशि पर 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए ऐसे माल की बिक्री निर्धारित करके नियमानुसार कर आरोपित किया जायेगा । साथ ही साथ अर्थदण्ड की कार्यवाही भी की जा सकती है ।

कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान सर्वश्री कैलाश बिल्डर्स, भारत मन्दिर मार्ग, ऋषिकेश, टिन संख्या 05006021591 वर्ष Am No 1121/090(P/432To434) 2015-16 एवं 2016-17 की अन्तिम कर निर्धारण पत्रावली एवं जारी अन्तिम कर निर्धारण आदेश का अवलोकन करने पर निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये ।

1. वर्ष 2015-16 में जारी अन्तिम कर निर्धारण के अनुसार प्राप्त भुगतान ` 2,35,10,122 था जिसके सापेक्ष ` 54,49,349 का आयातित माल संविदा में अन्तरण होना बताया गया था, जिस पर कर मुक्ति प्रदान की गयी थी । जबकि यह कर मुक्ति अनुबन्ध मैटिरियल खपत प्रमाण-पत्र जो कि आयातित निर्माण सामग्री के सत्यापन का महत्वपूर्ण प्रपत्र था, उसको अन्तिम कर निर्धारण होने तक प्राप्त किये बिना ही कर मुक्ति प्रदान की गयी थी । जो कि जारी सरकुलर की शर्तों का स्पष्ट

उल्लंघन था । इसलिये इस धनराशि ` 54,49,369 x 120% = ` 65,39,242 का होता है । इसलिये ` 65,39,242 को बिक्री मानते हुए इस पर 5 प्रतिशत की दर से ` 3,26,962 कर आरोपणीय होना था एवं नियमानुसार अर्थदण्ड भी आरोपणीय है ।

2. जारी अन्तिम कर निर्धारण आदेश वर्ष 2016-17 के अनुसार आयातित बिटुमिन ` 23,41,122 एवं ` 5,89,068 के टायर प्रोसेसिंग ऑयल (कुल ` 29,30,190) का प्रयोग सिविल संविदाओं के निष्पादन में किया जाना बताया गया है, जिस पर कर मुक्ति प्रदान की गयी है, जबकि यह कर मुक्ति संविदाकार को तभी स्वीकृत की जा सकती थी, जब संविदाकार द्वारा आयातित माल का अनुबन्धवार खपत प्रमाण-पत्र वार्षिक विवरणी के साथ कार्यालय में दाखिल किया गया होता, अन्यथा सम्भव नहीं थी । संविदाकार द्वारा अन्तिम कर निर्धारण होने तक खपत प्रमाण-पत्र दाखिल नहीं किया गया था । इसलिये ` 29,30,190 पर 20 प्रतिशत वृद्धि करके कर आरोपणीय था । जो कि नहीं किया गया था ।

$$\text{` } 29,30,190 \times 120\% = \text{` } 35,16,228$$

$$\text{` } 35,16,228 \times 5\% = \text{` } 1,75,811.40 \text{ कर आरोपणीय होना था ।}$$

उक्त के अतिरिक्त नियमानुसार अर्थदण्ड भी आरोपणीय है ।

3. सर्वश्री मेसर्स त्रिवेणी कन्स्ट्रक्शन, टिन संख्या 05003876145 की वर्ष 2016-17 की अन्तिम कर निर्धारण पत्रावली एवं जारी अन्तिम कर निर्धारण आदेश के अनुसार संविदाकार द्वारा संगत वर्ष 2016-17 में प्रान्त बाहर से आयात 06 घोषणा पत्रों का प्रयोग कर कुल ` 55,27,682 मूल्य की सामग्री का क्रय जैसे- प्लेट, चैनल, एंगल, मशीन किया गया था । आयातित सामग्री में से धनराशि ` 23 लाख मशीनरी के अलावा अवशेष ` 32,27,682 की सामग्री का अन्तरण संविदा में होना बताया गया है । जो कि वर्ष 2016-17 तक प्राप्त अनुबन्ध के सापेक्ष प्राप्त धनराशि का 5 प्रतिशत से अधिक होता है । संविदाकार द्वारा वर्ष 2016-17 में आयातित सामग्री का शासन द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार अनुबन्ध वार अन्तिम कर निर्धारण होने तक भी मैटिरियल खपत प्रमाण-पत्र कार्यालय में नहीं दिया गया था, ताकि यह ज्ञात किया जा सकता कि संगत वर्ष में आयातित सामग्री का प्रयोग वास्तविक रूप से प्राप्त अनुबन्धित संविदा में किया गया था, इसलिये मैटिरियल खपत प्रमाण-पत्र कार्यालय में नहीं दिया गया था, ताकि यह ज्ञात किया जा सकता कि संगत वर्ष में आयातित सामग्री का प्रयोग वास्तविक रूप से प्राप्त अनुबन्धित संविदा में किया गया था, इसलिये



मैटिरियल खपत प्रमाण-पत्र के अभाव में संविदाकार द्वारा आयातित मूल्य ` 32,27,682 को प्रान्त के अन्दर बिक्री मानते हुये इस आयातित मूल्य पर 20 प्रतिशत लाभ ` 6,45,536 जोड़ते हुए चूंकि भाड़ा ज्ञात नहीं है, कुल ` 38,73,218 पर 5 प्रतिशत की दर से ` 1,93,661 कर आरोपणीय किया जाना था जो कि आरोपित नहीं किया गया था, इसलिये ` 1,93,661 कर की वसूली मय ब्याज सहित सम्प्रेक्षा में लम्बित रहेगी । साथ ही साथ संविदाकार पर अर्थदण्ड की कार्यवाही भी आरोपणीय रहेगी ।

इस सम्बन्ध में पूछने पर विभागीय उत्तर में बताया गया कि आयातित सामग्री का प्रयोग संविदा कार्य में अन्तरण माना जाना अनुपातिक रूप से समीचीन है ।

विभागीय उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि आयातित सामग्री का अनुबन्धवार मैटिरियल खपत प्रमाण-पत्र शासन द्वारा इस आशय से संविदाकार से प्राप्त किया जाना आवश्यक बताया गया था कि ताकि आयातित माल का अन्तरण केवल आवंटित सिविल संविदा में ही किया जा सके, अन्यथा आयातित निर्माण सामग्री धनराशि पर 20 प्रतिशत मूल्य वृद्धि एवं भाड़ा जोड़कर प्रान्तीय बिक्री मानते हुए अलग से वैट अधिनियम, 2005 में उल्लिखित किये गये प्रावधानों के अनुसार बिक्री मानते हुए कर आरोपणीय कर वसूली की जा सके जिससे शासन को राजस्व क्षति ना हो सके, परन्तु विभागीय उदासीनता के कारण आयातित सामग्री पर कर ` 1,93,661 आरोपणीय नहीं किया गया । जो कि शासन के सरकुलर में उल्लिखित किये गये निदेश अनुसार आवश्यक था ।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

( ` 3,26,963 + ` 1,75,811 + ` 1,93,661 = योग ` 6,96,434)

### भाग- 2(ब)

**प्रस्तर- 2 संविदाकार को अनियमित वापसी ` 1.14 लाख ।**

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के नियम 14(3) के अनुसार "If the contractor does not maintain proper accounts or if he has maintained the account but amount actually incurred towards charges for labour and other services mentioned in sub-rule (2) and profit relating to supply of labour and services or sale price of goods involved in the execution of works contract are not determine such deductible amount or the sale value of goods involved in the execution of works contract"

[i] कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण)-द्वितीय, राज्य कर, ऋषिकेश के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री प्यार सिंह, दुआधार, टिहरी गढ़वाल (टिन नं0 05008374423) कर निर्धारण वर्ष 2016-17 सिविल संविदा कार्य हेतु पंजीकृत है । व्यापारी का कर निर्धारण आदेश धारा 25 के अन्तर्गत किया गया । व्यापारी को कुल धनराशि ` 21,19,348 प्राप्त हुयी थी, जिसमें से अर्थवर्क, लेबर एवं प्रान्तीय क्रय घटाने के उपरान्त ` 6,06,873 पर कर आरोपित किया गया । इस कर आरोपण में ` 91,031 पर बिक्र आयरन मानकर 5% की दर से ` 4,55,155, रेत बजरी आदि मानकर 9% की दर से, ` 60,687 सीमेन्ट मानकर 13.5% की दर से कर आरोपित किया । जबकि व्यापारी द्वारा ` 4,33,850 का केवल सीमेन्ट की प्रान्तीय खरीद की है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु की प्रान्तीय खरीद नहीं की है ।

उक्त संविदाकार के कर निर्धारण आदेश में अर्थवर्क प्राप्त भुगतान में से घटाया गया है, जबकि कर निर्धारण आदेश धारा-25 के अन्तर्गत किया गया है जिसमें से अर्थवर्क नहीं घटाया जाना चाहिये, क्योंकि अर्थवर्क में लेबर भी शामिल रहता है । अतः केवल लेबर घटाया जाना चाहिये । अतः निम्न प्रकार कर आरोपित किया जाना चाहिये:-

कुल प्राप्त धनराशि ` 21,19,348

लेबर 30% (-) ` 6,35,804

प्रान्तीय क्रय (-) ` 4,33,850

` 10,49,694

चूँकि संविदाकार द्वारा केवल सीमेन्ट का क्रय किया है । अतः 14.5% की दर से कर आरोपणीय है:-

` 10,49,694 x 14.5% = ` 1,52,206

संविदा विभाग द्वारा काटी गयी TDS की धनराशि ` 1,27,186 के समायोजन के उपरान्त ` 25,020 और कर आरोपणीय है, जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है, जबकि ` 73,477 रिफण्ड कर दिया गया है ।

(ii) व्यापारी सर्वश्री प्रीतम सिंह, ग्रा0 व पो0 ससमान, टि0ग0 (टिन नं0 05003812610) कर निर्धारण वर्ष 2015-16 की पत्रावली की जांच में पाया गया कि संविदाकार को ` 29,55,317 का भुगतान हुआ था, जिसमें अर्थवर्क, लेबर, प्रान्तीय क्रय घटाकर शेष धनराशि पर कर निर्धारित किया गया । जबकि कर निर्धारण धारा 25 के अन्तर्गत किया गया जिसमें अर्थवर्क नहीं घटाया जाना चाहिये । क्योंकि अर्थवर्क में लेबर भी शामिल होता है ।

अतः निम्न प्रकार कर आरोपणीय है:-

संविदाकार द्वारा प्राप्त धनराशि ` 29,55,317

(-) 30% लेबर ` 8,86,595

(-) प्रान्तीय क्रय ` 3,22,305

कर योग्य धनराशि ` 17,46,417

चूँकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 74:26 के अनुपात में रेत, बजरी आदि एवं सीमेन्ट पर कर आरोपित किया है ।

अतः संविदा कार्य में रेत, बजरी आदि की धनराशि ` 17,46,417 x 74% = ` 12,92,349

कर ` 12,92,349 x 9% = ` 1,16,311

संविदा कार्य में सीमेन्ट आदि के अन्तरण की धनराशि ` 17,46,417 x 26% = ` 4,54,068

कर की धनराशि ` 4,54,068 x 13.5% = ` 61,299

कुल कर की धनराशि = ( ` 1,16,311 + ` 61,299) = ` 1,77,610

संविदाकार द्वारा दाखिल कटौती प्रमाण के अनुसार TDS की धनराशि ` 1,77,321

अवशेष कर की धनराशि ` 289

इस प्रकार, संविदाकार पर ` 289 कर बकाया है, जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है । जबकि संविदाकार को ` 12,666 वापस कर दिये गये ।

(iii) इसी प्रकार, संविदाकार सर्वश्री देवभूमि कन्स्ट्रक्शन, क0नि0 वर्ष 2014-15 (टिन नं0 05010633068 का कर निर्धारण धारा-25 के अन्तर्गत किया गया, इसमें भी अर्थवर्क घटाया गया । जबकि अर्थवर्क में लेबर भी शामिल रहता है ।

अतः अर्थवर्क हटाकर निम्न प्रकार कर आरोपित किया जाना चाहिये ।

संविदाकार द्वारा प्राप्त धनराशि ` 32,37,293

(-) 30% लेबर ` 9,71,188

(-) प्रान्तीय क्रय ` 5,70,800

कर योग्य धनराशि ` 16,95,305

चूँकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 5% की वस्तु एवं 9% की वस्तु को 30% एवं 70% के अनुपात में कर आरोपित किया है ।

अतः 9% की वस्तु की धनराशि ` 16,95,305 x 70% = ` 11,86,713

कर की धनराशि ` 11,86,713 x 9% = ` 1,06,804

5% की वस्तु की धनराशि ₹ 16,95,305 x 30% की धनराशि ₹ 508592 x 13% = ₹ 25,430/-

कुल कर की धनराशि ` 25,430 + ` 1,06,804 = ` 1,32,234

TDS कटौती प्रमाणपत्र के अनुसार जमा धनराशि ` 1,94,194

वापसी योग्य धनराशि ` 1,94,194 - ` 1,32,234 = ` 61,960

वापस की गयी धनराशि = ` 90,308

अधिक वापस की गयी धनराशि = ` 90,308 - ` 61,960 = ` 28,348

इस प्रकार, उक्त तीनों व्यापारियों पर क्रमशः ` 25,020 कर, ` 73,477 अधिक रिफण्ड, ` 289 कर, ` 12,066 अधिक रिफण्ड एवं ` 28,348 अधिक धनराशि वापस कर दी गयी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा व्यापारी सर्वश्री प्यार सिंह, क0नि0 वर्ष 2016-17 में केवल सीमेन्ट पर कर आरोपित न किये जाने के सम्बन्ध में बताया गया कि "संविदाकार के कार्य प्रकृति संविदाकार से सम्बन्धित है एवं संविदाकार को संगत अवधि में भुगतान भी उक्त के एवज में ही प्राप्त हुआ है जिसमें आयरन, ब्रिक, सैंड, मोर्टार, सीमेन्ट आदि का प्रयोग होना सर्वविदित है, जिसके सम्बन्ध में व्यापारी के अनुबन्धों में भी स्पष्ट है । व्यापारी द्वारा संगत अवधि में पंजीकृत खरीद केवल सीमेन्ट की स्वीकार की गयी है एवं अन्य वस्तुएं अपंजीकृत खरीद स्वीकार की गयी है । चूँकि व्यापारी को पंजीकृत खरीद का लाभ भुगतान के विरुद्ध किया गया । अतः अन्य वस्तुओं की अपंजीकृत से खरीद मानते हुए करदेयता निर्धारित की गयी है जो कि संविदाकार की कार्य प्रकृति के दृष्टिगत सही है ।" जबकि अर्थवर्क घटाये जाने के सम्बन्ध में बताया गया कि संविदाकार की कार्य प्रकृति एवं अनुबन्धों के परिशीलन पर ही अनुदत्त अर्थवर्क का लाभ प्रदान किया गया है । अर्थवर्क नाम से सम्बन्धित विवरण पत्रावली पर संलग्न है । अतः अर्थवर्क का लाभ अधिनियम में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार दिया गया है ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यापारी सर्वश्री प्यार सिंह, क0नि0 वर्ष 2016-17 द्वारा कोई ऐसी सूची दाखिल नहीं की थी कि व्यापारी द्वारा अन्य वस्तुयें अपंजीकृत से खरीद की थी एवं जहां तक अर्थवर्क घटाये जाने का सम्बन्ध है, अर्थवर्क में लेबर भी शामिल रहता है एवं इसे धारा-25 के अन्तर्गत कर निर्धारण किया गया है ।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

### **भाग- 2(ब)**

**प्रस्तर-3 कर का अनारोपण ` 0.14 लाख ।**

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3(10) के अनुसार, प्रत्येक ब्यौहारी जो अपने कारोबार के दौरान ऐसे माल का क्रय करता है जो-

पंजीकृत ब्यौहारी से भिन्न किसी व्यक्ति से की गई है और ऐसे माल के विक्रय पर कर बिक्रेता पर उद्ग्रहीत नहीं किया जा सकता है चाहे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध की दृष्टि में या बिक्रेता ब्यौहारी ने, कर का दायी होने पर भी, पंजीयन प्राप्त नहीं किया है ।

तो वह ऐसे माल की क्रय कीमत पर कर का दायी होगा ।

आगे, अधिसूचना सं0 /2012/02(120)/XXVII(8)/12 दिनांक 28.05.2012 से अनुसूची-II(ख) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में 5% की दर से करदेयता निर्धारित है ।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खण्ड-द्वितीय, राज्य कर, ऋषिकेश के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री गुप्ता राईस मिल, श्यामपुर, ऋषिकेश (टिन नं0 05003734137), कर निर्धारण वर्ष 2016-17 द्वारा प्रान्त के अन्दर से ` 2,75,552 की गेहूँ की खरीद की । पत्रावली में प्रान्तीय खरीद की पंजिका भी संलग्न नहीं है एवं व्यापारी द्वारा प्रथम त्रैमास की विवरणी में ` 2,75,552 की Exempt VAT Goods दर्शाया गया है अर्थात् व्यापारी द्वारा ` 2,75,552 के गेहूँ की खरीद में कर नहीं दिया है अर्थात् अपंजीकृत से क्रय किया गया है । व्यापारी द्वारा Trading A/c में उक्त धनराशि का गेहूँ क्रय होना अवगत कराया है ।

चूँकि व्यापारी द्वारा अपंजीकृत से गेहूँ खरीद का कर मुक्त आटा की बिक्री कर रहा है । अतः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3(10) के अन्तर्गत क्रय पर ` 2,75,552 पर 5% की दर से ` 13,778 कर आरोपणीय है जिसे आरोपित नहीं किया गया एवं

नियमानुसार ब्याज भी देय है । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि व्यापारी की पत्रावली में वार्षिक विवरणी भी संलग्न नहीं है । अतः इस पर नियमानुसार अर्थदण्ड भी आरोपणीय है ।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

अतः कर का अनारोपण ₹ 0.14 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

### भाग- 2(ब)

**प्रस्तर-4 कर का न्यूनारोपण ` 0.50 लाख ।**

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4(2)(ख)(i)(ई) के अनुसार, किसी भी अनुसूची में उल्लिखित माल से भिन्न माल के सम्बन्ध में 13.5% (दिनांक 04.10.2016 से 14.5%) की दर से करदेयता है ।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण)-द्वितीय, राज्य कर, ऋषिकेश के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री वर्धमान मार्बल्स (टिन नं0 05003648486) कर निर्धारण वर्ष 2016-17 द्वारा वार्षिक विवरणी में उल्लेख किया है कि ` 5,23,549.62 की आक्साइड कलर की बिक्री की है, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 5% की दर से कर आरोपित किया । जबकि आक्साइड कलर किसी भी अनुसूची में न होने के कारण 14.5% की दर से कर आरोपणीय है । अतः ` 5,23,550 पर अन्तरीय दर 9.5% (14.5 - 5)) की दर से ` 49,737 और कर आरोपणीय है जिसे आरोपित नहीं किया गया । जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

अतः कर का अनारोपण ` 49,737 अर्थात् ` 0.50 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

**भाग- 2(ब)**

**प्रस्तर-5 देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 0.51 लाख।**

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम-11 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यापारी जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त ` 50 लाख से अधिक है, उसे अगले माह की 20वीं तारीख तक देय कर का भुगतान करना है एवं जिसका सकल आवर्त ` 50 लाख तक है, उसे अगले त्रैमास के प्रथम माह की 20वीं तारीख तक देय कर का भुगतान करना है।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-58(1)(vii) के अन्तर्गत यदि किसी व्यौहारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया है तो वह देय कर के अतिरिक्त, अर्थदण्ड के रूप में:-

- (i) देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि देय कर 10 हजार रूपये तक हो और देय कर का 50% यदि देय कर 10 हजार रूपये तक हो, का दायी होगा **(दिनांक 31.03.2015 से पूर्व)**,
- (ii) यदि विलम्ब 01 माह तक हो तो देय कर का 5% का दायी होगा **(दिनांक 31.03.2015 से)**,
- (iii) यदि विलम्ब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर 20 हजार रूपये तक हो तो वह देय कर का कम से कम 10% एवं अधिक से अधिक 20% और यदि विलम्ब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर 20 हजार रूपये से अधिक हो तो वह देय कर का कम से कम 20% एवं अधिक से अधिक 30% का दायी होगा **(दिनांक 31.03.2015 से)।**



लेखापरीक्षा द्वारा जांच में पाया गया कि "संलग्न विवरण"में उल्लिखित व्यापारियों द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि ` 7,36,257 को विलम्ब से जमा किया गया था । अतः विलम्ब से जमा कर की राशि पर उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार न्यूनतम `51,242 (अर्थात् `0.51 लाख) अर्थदण्ड देय था जिसे आरोपित नहीं किया गया (**विवरण संलग्न है**) ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जाँचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

अतः देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 0.51 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**"संलग्न विवरण"**

क्रम सं०	व्यापारी का नाम	संगत वर्ष में सकल विक्रय धन ( ₹ में)	कर निर्धारण वर्ष/कर निर्धारण की तिथि	माह	अदा कर ( ₹ में)	कर भुगतान की अनुमन्य तिथि	कर भुगतान की वास्तविक तिथि	अर्थदण्ड का न्यूनतम दर (प्रतिशत में)	न्यूनतम अर्थदण्ड ( ₹ में)	कर भुगतान में विलम्ब
1.	सर्वश्री मोहन मोटर्स, गुमानीवाला, ऋषिकेश । (TIN No. 05003561477)	66,38,325	2016-17 31.12.2019	अप्रैल, 2016	47,700	20.05.2016	29.05.2016	5%	2,385	9 दिन
				मई, 2016	55,000	20.06.2016	22.06.2016	5%	2,750	2 दिन
				जून, 2016	51,400	20.07.2016	22.07.2016	5%	2,570	2 दिन
				जुलाई, 2016	54,300	20.08.2016	28.08.2016	5%	2,715	8 दिन
				अगस्त, 2016	93,236	20.09.2016	07.11.2016	20%	18,647	1 माह 18 दिन
				सितम्बर, 2016	69,979	20.10.2016	07.11.2016	5%	3,499	18 दिन
				दिसम्बर, 2016	64,400	20.01.2017	27.01.2017	5%	3,220	7 दिन
					3,647	20.01.2017	20.02.2017	10%	365	1 माह 1 दिन
	चतुर्थ त्रैमास	36,200	20.04.2017	30.04.2017	5%	1,810	10 दिन			
<b>योग (i)</b>									<b>37,961</b>	
2.	सर्वश्री लवली गारमेन्ट्स, घाट रोड, ऋषिकेश । (TIN No. 05003774780)	26,73,585	2016-17 07.02.2020	प्रथम त्रैमास	5,200	20.07.2016	20.08.2016	10%	520	1 माह 1 दिन
				द्वितीय त्रैमास	1,845	20.10.2016	28.10.2016	5%	92	8 दिन

				तृतीय त्रैमास	36,890	20.01.2017	16.02.2017	5%	1,845	27 दिन
				चतुर्थ त्रैमास	38,470	20.04.2017	18.05.2017	5%	1,923	28 दिन
योग (ii)									4,380	
3.	सर्वश्री लक्ष्मी उद्योग, भजनगढ़ रोड, कैलाश गेट, मुनि की रेती (टि0ग0) । (TIN No. 05003772355)	29,13,854	2015-16 24.04.2019	प्रथम त्रैमास	32,857	20.07.2016	21.07.2016	5%	1,643	1 दिन
				द्वितीय त्रैमास	33,492	20.10.2016	21.10.2016	5%	1,675	1 दिन
				तृतीय त्रैमास	30,778	20.01.2017	21.01.2017	5%	1,539	1 दिन
योग (iii)									4,857	
4.	सर्वश्री गंगा आयुर्वेदा स्टोर, स्वर्गाश्रम, पौड़ी गढ़वाल । (टिन नं0 05014272602)	65,25,648	2016-17 08.11.2019	प्रथम त्रैमास	25,138	20.07.2016	04.08.2016	5%	1,257	15 दिन
				तृतीय त्रैमास	34,865	20.01.2017	25.01.2017	5%	1,743	5 दिन
				चतुर्थ त्रैमास	20,010	20.04.2017	21.04.2017	5%	1,001	1 दिन
					850	20.04.2017	28.04.2017	5%	43	8 दिन
योग (iv)									4,044	
					<b>7,36,257</b>	<b>महायोग [(i)+(ii)+(iii)+(iv)]</b>			<b>51,242</b>	

**भाग- 2(ब)**

प्रस्तर-6 सुख साधन कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 0.24 लाख ।

The Uttarakhand Luxuries (in Hotels) Tax Rules, 2009, **Rule 3(B)Period within which and the manner in which the tax be paid:**

**"The amount of tax payable by a Hotel owner under sub-section (1) of Section 5 of the Act shall be paid into a Government Treasury or the State Bank of India by a Challan in L.T. Form I within five days after the end of the month to which the tax collected by the Hotel owner relates".**

The Uttar Pradesh Taxation and Land Revenue Laws Act, 1975 Chapter-II (Imposition of Luxury Tax) **Section-10: Penalty:-**

**"Without prejudice to the provisions of sub-section (2) of Section 5, if any person fails to pay and sum payable under Section 5 or Section 7 within the prescribed period he shall, on conviction be liable to pay a fine not exceeding rupees five thousand and when the offence is a continuing one, with a further fine not exceeding rupees one hundred per day during which the offence continues."**

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खण्ड-II, ऋषिकेश के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि "संलग्न विवरण"में उल्लिखित होटल व्यवसायियों द्वारा देय कर विलम्ब से जमा किया गया है । अतः उपरोक्त नियमों के अनुसार ` 24,200 से अनधिक अर्थदण्ड आरोपणीय है जिसे कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा आरोपित नहीं किया गया है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जाँचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

अतः सुख साधन कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 0.24 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

**सुख साधन कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण**

क्रम संख्या	होटल का नाम	सुख साधन कर पंजीयन संख्या	कर निर्धारण वर्ष	कर निर्धारण आदेश का दिनांक	माह	धनराशि (₹)	कर जमा करने की निर्धारित तिथि	कर जमा करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब	आरोपणीय अर्थदण्ड (₹)
1.	सर्वश्री संस्कृति हेल्थ स्पा, रामझूला, मुनि-की-रेती, ऋषिकेश ।	05LT0802054	2016-17	29.11.2019	05/2016	16,248	05.06.2016	07.06.2016	02	5,000 से अनधिक (प्रथम बार)
					05/2016	1,06,371	05.06.2016	07.06.2016	02	100 x 2 = 200
					06/2016	11,212	05.07.2016	08.07.2016	03	100 x 3 = 300
					06/2016	1,20,358	05.07.2016	08.07.2016	03	100 x 3 = 300
					07/2016	29,234	05.08.2016	08.08.2016	03	100 x 3 = 300
					10/2016	1,62,906	05.11.2016	11.11.2016	06	100 x 6 = 600
					10/2016	32,720	05.11.2016	11.11.2016	06	100 x 6 = 600
					12/2016	90,691	05.01.2017	07.01.2017	02	100 x 2 = 200
12/2016	15,568	05.01.2017	07.01.2017	02	100 x 2 = 200					
<b>योग (i)</b>										<b>7,700</b>
2.	सर्वश्री ग्रीन होटल, ऋषिकेश ।	050LT0802013	2016-17	02.09.2019	05/2016	47,943	05.06.2016	07.06.2016	02	5,000 से अनधिक (प्रथम बार)
					06/2016	67,476	05.07.2016	08.07.2016	03	100 x 3 = 300
<b>योग (ii)</b>										<b>5,300</b>
3.	सर्वश्री गंगा किनारे, वीरभद्र रोड, ऋषिकेश	05LT08002011	2016-17	29.11.2019	04/2016	1,54,943	05.05.2016	16.05.2015	11	5,000 से अनधिक (प्रथम बार)
					05/2016	2,16,868	05.06.2016	07.06.2016	02	100 x 2 = 200
					06/2016	2,24,770	05.07.2016	07.07.2016	02	100 x 2 = 200
					07/2016	1,16,480	05.08.2016	06.08.2016	01	100 x 1 = 100
<b>योग (iii)</b>										<b>5,500</b>
3.	सर्वश्री रेन फारेस्ट हाउस, ब्रह्मपुरी (टि0ग0)	05LT0802034	2016-17	29.11.2019	08/2016	23,051	05.09.2016	07.09.2016	02	5,000 से अनधिक (प्रथम बार)
					10/2016	16,494	05.11.2016	07.11.2016	02	100 x 2 = 200
					12/2016	17,283	05.01.2017	10.01.2017	05	100 x 5 = 500
<b>योग (iv)</b>									<b>5,700</b>	
<b>महायोग [(i) + (ii) + (iii) + (iv)]</b>										<b>24,200</b>

**भाग- 2(ब)**

**प्रस्तर-7 बिक्री कम प्रदर्शित किये जाने के कारण कर ` 0.07 लाख एवं अर्थदण्ड `0.03 लाख का अनारोपण ।**

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-58(1)(xiv) के अनुसार, यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति ने मिथ्या लेखा रजिस्टर या दस्तावेज रखा है अथवा प्रस्तुत किया है तो कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसी जाँच के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा ब्यौहारी या व्यक्ति उसके द्वारा देय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में देय कर का कम से कम 50% धनराशि का भुगतान करने का दायी होगा ।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खण्ड-II, राज्य कर, ऋषिकेश के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री ए0बी0सी0 ट्रेडर्स, लाजपत राय मार्ग, ऋषिकेश (टिन नं0 05008061210) कर निर्धारण वर्ष 2016-17 द्वारा संगत वर्ष में 13.5% वस्तु की व्यापारिक स्थिति में प्रारम्भिक रहतिया ` 49,101, क्रय ` 27,705, अन्तिम रहतिया ` 3,238 तथा बिक्री ` 25,620 दर्शाई गई है । अतः निम्न प्रकार ` 73,568 बिक्री होनी चाहिये (लाभ रहित) । इस प्रकार, छुपाई गई बिक्री ` 47,948 पर 14.5% की दर से ` 6,952 कर आरोपणीय है जिसे आरोपित नहीं किया गया ।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त धारा 58(1)(xiv) के अनुसार, ` 3,476 अर्थदण्ड भी आरोपणीय है ।

प्रारम्भिक रहतिया	क्रय	अन्तिम रहतिया	वास्तविक बिक्री	बिक्री होनी चाहिये (लाभ रहित) [(1)+(2)-(3)]	छुपाई गई बिक्री [(5)-(4)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
49,101	27,705	3,238	25,620	73,568	47,948

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

अतः बिक्री कम प्रदर्शित किये जाने के कारण कर ` 0.07 लाख एवं अर्थदण्ड ` 0.03 लाख का अनारोपण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

**भाग-III**

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-19/2007-08	-	06	-
CT-19/2009-10	-	01,02,03	-
CT-15/2014-15	-	01	-
CT-102/2017-18	01	01,02,03,04	01
RS/CT-96/2019-20	01	01,02	-

**भाग-IV****इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य
- (2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

**भाग-V****आभार**

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), द्वितीय, राज्य कर, ऋषिकेश तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएं:  
टिप्पणी- शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमती पल्लवी चुफाल	सहायक आयुक्त
(ii)	श्री वी.के. चन्दोला	राज्य कर अधिकारी
(iii)	श्री एल.पी. पुरोहिन	वर्तमान में राज्य कर अधिकारी

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV